दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 18 जनवरी, 2023

उदघोषित: 15 फरवरी, 2023

आप.पु.या. 1113/2019 और आप.वि.आ. 38890/2019 (स्थगन)

सुधीर कुमार ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री मोहित माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री अमिताभ नरेंद्र और श्री मृदुल चक्रवर्ती, अधिवक्तागण।

बनाम

सी.बी.आई. ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री मृदुल जैन, वि.लो.अभि. के साथ सुश्री वेदिका रतन, सुश्री नेहा गोयल, अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित शर्मा

<u>निर्णय</u>

<u>अमित शर्मा, न्या.</u>

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("दं.प्र.सं.") की धारा 401 सहपठित धारा 397 के तहत वर्तमान पुनरीक्षण याचिका सुश्री अंजू बजाज चंदना, विशेष न्यायाधीश (पी.सी. अधिनियम), सी.बी.आई.-02, सी.सी. सं. 266/2019 राउज़ एवेन्यू द्वारा दिनांक 01.10.2019 को पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है,

जिसका शीर्षक सी.बी.आई. बनाम इश्मा अरोड़ा और अन्य है, जो प्राथमिकी सं. आर.सी.2192015ई0009 पुलिस थाना ई.ओ.-I, नई दिल्ली, जिला डी.एस.पी.ई. में पंजीकृत है, जिसके तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 ('भा.दं.सं.') की धारा 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1881 ('पी.सी. अधिनियम') की धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 120ख के तहत अपराधों के लिए आरोप तय किए हैं।

2. संक्षेप में, वर्तमान मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:

i. वर्तमान प्राथमिकी श्री राजीव आजाद, सहायक महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली ('शिकायतकर्ता') द्वारा श्रीमती इश्मा अरोड़ा मैसर्स राधे श्याम ट्रेडिंग कंपनी ("कंपनी") की मालिक, श्री नितिन कुमार अरोड़ा और अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ की गई शिकायत पर भा.दं.सं. की धारा 120ख/420/467/468/471 के तहत दिनांक 20/22.04.2015 को दर्ज की गई थी।

ii. प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था श्रीमती इस्मा अरोड़ा ने कंपनी के मालिक के रूप में 375 लाख रुपये की ऋण के लिए आवेदन किया और प्राप्त किया और श्री नितिन कुमार अपनी व्यक्तिगत क्षमता में प्रत्याभूति-दाता बने थे। सी-7/12 (उत्तरी आधा भाग), कृष्णा नगर, दिल्ली-110051 में स्थित संपत्ति को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में पेश किया गया था और न्यायसंगत बंधक के सृजन के लिए स्वामित्व विलेख भी जमा किया गया था।

iii. प्राथमिकी में आगे यह आरोप लगाया गया कि उक्त संपत्ति को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, घोंडा, दिल्ली और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेक्टर-27, नोएडा, उत्तर प्रदेश के पक्ष में भी बंधक रखा गया था। बैंक के अधिवक्ता से विधिक खोज रिपोर्ट मांगी गई, जिससे पता चला कि न्यायसंगत बंधक बनाने के लिए बैंक को प्रस्तुत किया गया बिक्री विलेख नकली था। प्राथमिकी में आगे यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अलग-अलग पैन नंबर प्रस्तुत किए थे।

iv. आरोप पत्र के अनुसार जाँच से पता चला कि वर्तमान याचिकाकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों ने पंजाब नेशनल बैंक, एल ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली ('बैंक') को धोखा देने के लिए जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंक से 375 लाख रुपये की नकद ऋण प्राप्त करके आपराधिक साजिश रची थी।

v. जाँच के दौरान, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता, जो बैंक के पैनल अधिवक्ता हैं, ने कथित रूप से गलत विधिक खोज रिपोर्ट दिनांक 29.08.2013 को प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि स्वामित्व विलेख, रजिस्ट्रार कार्यालय से उनके द्वारा प्राप्त प्रमाणित प्रति में बताई गई सामग्री के साथ अक्षरशः मेल खाता है और यह कि उक्त स्वामित्व विलेख मूल, वास्तविक हैं और प्रतिलिपि या नकली नहीं हैं। यह आरोप लगाया गया है कि जाँच से पता चला है कि बैंक के पास गिरवी रखे गए स्वामित्व विलेख और उप-रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त प्रमाणित प्रति में स्पष्ट अंतर थे, क्योंकि प्रमाणित प्रति के पृष्ठ संख्या 5 पर, 20-20 लाख रुपये के दो भुगतान आदेशों के हस्तलिखित विवरण थे, जबकि बैंक को दिए गए स्वामित्व विलेख के पृष्ठ संख्या 5 पर ऐसा कोई विवरण नहीं था। यह भी आरोप

लगाया गया था कि याचिकाकर्ता को उप-रजिस्ट्रार कार्यालय से 30.08.2013 तक प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई थी और इस प्रकार, गलत तरीके से कहा गया है कि उसने प्रमाणित प्रति को स्वामित्व विलेख के साथ मिलान किया था।

vi. जांच में आगे पता चला कि कंपनी के ऋण प्रस्ताव का मूल्यांकन संयुक्त रूप से राजीव कुमार डोगरा (ऋण विभाग के वरिष्ठ प्रभारी प्रबंधक) और श्री एस. पुनीत गर्ग (प्रबंधक ऋण) और ऐसा करते हुए, उन्होंने कथित रूप से चूक की और आई.एन.जी. व्यास बैंक में रखी गई कंपनी के नाम पर खाते के विवरण को सत्यापित नहीं किया जो आवेदक/ऋणी द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

vii. प्रस्तावित संपार्श्विक प्रतिभूति के संबंध में सी.ई.आर.एस.ए.आई. की खोज रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी जिससे इश्मा अरोड़ा और नितिन कुमार अरोड़ा के खिलाफ 4 करोड़ रुपये की बकाया ऋण देनदारी का खुलासा होता। उपरोक्त राजीव कुमार डोगरा और पुनीत गर्ग ने इश्मा अरोड़ा और नितिन कुमार अरोड़ा से इस आशय का शपथपत्र स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा कोई भी ऋण (4 करोड़ रुपये) न तो लिया है और न ही प्रत्याभूति दी है। इस प्रस्ताव की अनुशंसा दिनांक 18.09.2013 के प्रक्रिया नोट द्वारा की गई थी और आरोपी उदभास गुहा द्वारा 23.09.2013 को इसे मंजूरी दी गई थी।

viii. नकद ऋण सीमा की मंजूरी के बाद, सी.ई.आर.एस.ए.आई. खोज रिपोर्ट नेहा दुबे (बैंक अधिकारी) द्वारा सी-7/12, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051, कृष्णा नगर संपत्ति के संबंध में तैयार की गई थी और उन्होंने इसे पुनीत गर्ग को सौंप दी थी। यह पता चला कि संपत्ति पहले से ही बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी रखी हुई है। अभियुक्त व्यक्तियों ने

28.09.2013 को आहरण शक्ति ('डी.पी.') जारी की, जानबूझकर अन्य बैंकों के पास संपत्ति के बंधक होने के तथ्य की पुष्टि नहीं की और ऋण रिकॉर्ड पर सी.ई.आर.एस.ए.आई. रिपोर्ट नहीं रखी।

ix. जाँच के दौरान यह भी पता चला है कि इश्मा अरोड़ा और नितिन कुमार अरोड़ा ने अन्य बैंकों से जाली 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जमा किया था। ऋणदाताओं और कर्जदारों का उचित विवरण दिए बिना दिनांक 25.09.2013 को स्टॉक विवरण भी प्रस्तुत किया गया था और इसकी वास्तविकता के सत्यापन के बिना, आहरण शक्ति (डीपी) जारी की गई थी। अभियुक्त पुनीत गर्ग ने आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश को आगे बढ़ाने के लिए स्टॉक की भौतिक जाँच के बारे में नोट को गलत दर्ज किया।

x. मार्च 2014 में, यह जानने पर कि संपार्श्विक प्रतिभूति के स्वामित्व विलेख की वैसी ही प्रति भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, घोंडा शाखा, के पास गिरवी रखी गई है, नितिन कुमार अरोड़ा ने बेईमानी से संपत्ति सी-7/12, (उत्तरी आधा हिस्सा), कृष्णा नगर, दिल्ली के स्वामित्व विलेख को तीन अन्य संपत्तियों के जाली स्वामित्व विलेखों के साथ बदलने की पेशकश की।

xi. जांच से पता चला कि संपत्ति सी-7/12 (उत्तरी आधा हिस्सा), कृष्णा नगर, दिल्ली-110051 को छह अन्य बैंकों के पास गिरवी रखा गया था और इश्मा अरोड़ा और नितिन कुमार अरोड़ा ने कथित तौर पर उक्त बैंकों में खाते खोलने के लिए अलग-अलग पैन कार्ड का उपयोग किया गया था।

xii. कंपनी के नकद ऋण खाते से, 30.09.2013 को 15,61,268/- रुपये की राशि मैसर्स एस.के. एंटरप्राइजेज (मालिक - संदीप खेड़ा) के आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, आनंद विहार शाखा में चालू खाते में भेजी

गई थी। इसके बाद उसी दिन 9 लाख रुपये की राशि नकद निकाल ली गई और 5,75,000/- रुपये की राशि मैसर्स बांके बिहारी ट्रेडिंग कंपनी (मालिक - इश्मा अरोड़ा) के खाते में हस्तांतरित कर दी गई, इस तथ्य के बावजूद कि संदीप खेड़ा का मैसर्स एस.के. एंटरप्राइजेज के नाम से बना हुआ वस्त्र और कपड़ों का कोई व्यवसाय नहीं है। इस प्रकार, यह आरोप लगाया गया है कि संदीप खेड़ा ने निधियों को इधर-उधर करने में इश्मा अरोड़ा, नितिन कुमार अरोड़ा की मदद की।

xiii. नकद ऋण सुविधा का उपयोग किया गया और उसके बाद, उन्होंने चूक की और खाते को 31.05.2014 को अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे बैंक को कुल 3,87,64,154/- रुपये का नुकसान हुआ।

3. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में दायर आरोप पत्र में वर्तमान याचिकाकर्ता को सौंपी गई भूमिका इस प्रकार हैः

i. याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता बैंक, यानी पंजाब नेशनल बैंक के पास बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति के साथ मूल को सत्यापित और मिलान किए बिना एक झूठा स्वामित्व विलेख प्रस्तुत किया, क्योंकि बैंक को प्रस्तुत स्वामित्व अभिमत दिनांक 29.08.2013 की थी, जबकि उप-रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति में उल्लिखित वितरण की तारीख 30.08.2013 थी।

ii. यह आगे आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने बेईमानी और धोखाधड़ी से उल्लेख किया कि स्वामित्व विलेख रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त प्रमाणित प्रति की सामग्री के साथ अक्षरशः मेल खाती है, जबकि

जांच से पता चला है कि बैंक के पास गिरवी रखे गए स्वामित्व विलेख और रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त स्वामित्व विलेख में अंतर है, प्रमाणित प्रति के पृष्ठ संख्या 5 पर 20-20 लाख रुपये के दो भुगतान आदेशों का हस्तलिखित विवरण था और बैंक के पास गिरवी रखे गए विलेख में ऐसा कोई विवरण नहीं था।

4. यह प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त आरोपों के आधार पर, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 420/467/468/471/120ख और पी.सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (घ) के तहत आरोप तय किए।

> "32. इसी तरह, अभियुक्त सुधीर कुमार (पैनल में शामिल अधिवक्ता) ने संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में दी गई संपत्ति की प्रमाणित प्रति को ठीक से प्राप्त किए बिना अपनी राय प्रस्तुत की है और इस स्तर पर मुद्रण संबंधी गलती के बहाने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बैंक में जमा किए गए बिक्री विलेख (जाली) और उप-रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति में स्पष्ट अंतर हैं और आरोपी को अपनी राय में इसकी सूचना देनी चाहिए थी। आरोपी सुधीर कुमार का कार्य लापरवाही है या आपराधिक कदाचार, यह सबूत का विषय है और इस स्तर पर यह तय नहीं किया जा सकता है। हालांकि, आरोपी सुधीर कुमार पर साजिश द्वारा इस मामले में उसकी संलिप्तता के बारे में गहरा संदेह पैदा होता है।"

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अगस्त 2013 में, याचिकाकर्ता को पंजाब नेशनल बैंक के लिए पैनल में शामिल अधिवक्ता के रूप में, डी.एल.एफ. मुआफी जमीन निर्मित संपति प्लॉट नं. सी-7/12 (ब्लॉक नं. सी-7, प्लॉट नं.12), माप 229 वर्ग गज (यानी 191.47 वर्ग मीटर) का

उत्तरी भाग है, गांव घोंडी, इलाका-शाहदरा, दिल्ली-110051 के क्षेत्र में 'कृष्णा नगर' में स्थित है, जो श्रीमती इश्मा अरोड़ा पत्नी श्री नितिन अरोड़ा, निवासी एच-4/12, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051" के नाम पर है, उसकी स्वामित्व की खोज करने का काम और गैर-ऋणभार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था। उक्त कार्य को आगे बढ़ाते हुए, याचिकाकर्ता ने उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में उक्त संपत्ति से संबंधित अभिलेखों का 27.08.2013 को निरीक्षण किया और इश्मा अरोड़ा के नाम पर दिनांक 08.07.2012 को निष्पादित बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने उक्त संपत्ति का मूल स्वामित्व विलेख प्राप्त किया और इसे प्रमाणित प्रति के साथ मिलान किया और पाया कि संपत्ति का विवरण, पंजीकरण विवरण, विक्रेता(ओं) और खरीदार की तस्वीरें एक दूसरे के साथ मिलान करती हैं। विवरणों के सत्यापन के बाद और उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में 27.08.2013 को याचिकाकर्ता द्वारा किए गए संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण के आधार पर, उन्होंने 30.08.2013 को पंजाब नेशनल बैंक में दिनांक 08.07.2012 की बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति के साथ दिनांक 29.8.2013 को अपना स्वामित्व अभिमत प्रस्तुत किया।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन आरोपों के अलावा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट झूठी है, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि वह कथित अपराध करने की साजिश में शामिल था और

यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कथित झूठी रिपोर्ट तैयार करके आर्थिक रूप से लाभ उठाया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि दो गवाहों के नियमित बयानों के अलावा, जिन्होंने कहा कि रिपोर्ट झूठी थी और आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार की गई थी, अपराध में याचिकाकर्ता की संलिप्तता की ओर इशारा करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में अभिलेखों का विधिवत निरीक्षण किया और पाया कि उपरोक्त संपत्ति इश्मा अरोड़ा के नाम पर रजिस्ट्री हुई थी। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि उन्होंने आधिकारिक रिकॉर्ड को सत्यापित किए बिना स्वामित्व अभिमत प्रस्तुत किया।

8. यह प्रस्तुत किया गया कि स्वामित्व अभिमत में भी, याचिकाकर्ता ने कुछ सावधानियों को सूचीबद्ध किया था जो गिरवी रखते समय बैंक द्वारा बरती जानी चाहिए, जो इस प्रकार हैं:

> "क. ऊपर उल्लिखित मूल दस्तावेज शाखा द्वारा लिए जा सकते हैं।
> ख. संपत्ति के वास्तविक कब्जे को बैंक द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए क्योंकि वास्तविक तथ्यों को दस्तावेजों में उल्लिखित विवरणों की पुष्टि करनी चाहिए।
> ग. मालिक(कों) से शपथ पत्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि

i. अब बैंक के पास जमा किए गए दस्तावेज़ स्वामित्व विलेखों का एकमात्र सेट हैं और दस्तावेजों का कोई अन्य सेट किसी अन्य व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है।

ii. संपत्ति पर कोई पूर्व गिरवी किसी भी पिछले या वर्तमान मालिक द्वारा किसी भी तरह से नहीं है और संपत्ति सभी ऋणभार, शुल्कों, धारणाधिकार, गिरवी, मुकदमेबाजी, विवाद, आपराधिक जांच, अदालती मुकदमा, किसी भी सरकारी प्राधिकरण की किसी भी बकाया से मुक्त है।

iii. वर्तमान में बिक्री या किराए का कोई समझौता निष्पादित नहीं किया गया है, या किसी भी व्यक्ति के पक्ष में पिछले या वर्तमान मालिक द्वारा जारी नहीं है।

iv. कि संपत्ति में कोई अनधिकृत निर्माण नहीं किया गया है और वह इस मामले में हुए किसी भी नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से बैंक के प्रति जिम्मेदार होगा।"

9. संक्षेप में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने में गलती की है, विशेष रूप से जब आरोप पत्र में उन्हें सौंपी गई भूमिका स्वामित्व अभिमत प्रस्तुत करने तक सीमित है, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि अभिलेखों के निरीक्षण के बाद प्रस्तुत की गई थी। यदि बिक्री विलेख की प्रति पर भुगतान आदेश का कुछ विवरण गायब है, तो इसका वैसे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जहां तक उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में स्वामित्व और रजिस्ट्रीकरण का संबंध है। यह तर्क दिया गया कि यदि बिक्री विलेखों का मिलान करते समय कुछ खामियां थीं, तो यह केवल उचित ध्यान न देने की कमी रही होगी और किसी भी तरह से याचिकाकर्ता को कथित आपराधिक साजिश में एक पक्षकार नहीं बनाता है।

10. अपनी दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

i. सी.बी.आई. बनाम के. नारायण राव, (2012) 9 एस.सीसी. 512।
ii. एस. राम यादव बनाम सी.बी.आई., रिट याचिका (आप.) सं. 763/2011।
iii. ए. कुमार शर्मा बनाम सी.बी.आई., आप.वि.वा. सं. 2704/2013।
iv. राजेश्वर कुमार गुप्ता बनाम सी.बी.आई., आप.वि.वा. सं. 2734/2015।
v. सज्जन कुमार बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (2010) 9 एस.सी.सी. 368।

11. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक ("एस.पी.पी.") ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा रिकॉर्ड पर *प्रथम-दृष्टया* सामग्री के आधार पर वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करना सही था। यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व अभिमत प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग था और बैंक ने ऋण का विस्तार करते समय इस पर भरोसा किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि बैंक के पास संपार्श्विक संपत्ति के स्वामित्व की विसंगतियों के बारे में आवश्यक जानकारी होती, तो नुकसान नहीं होता।

12. विद्वान एस.पी.पी. ने प्रस्तुत किया कि उनके स्वामित्व अभिमत में, याचिकाकर्ता द्वारा इस बारे में स्पष्ट प्रश्न कि क्या स्वामित्व विलेख की सामग्री प्रमाणित प्रति की सामग्री के साथ "अक्षरश:" मेल खाती है, मैंने "हाँ" उत्तर दिया। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा निभाई गई भूमिका उसके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार है। यह सवाल कि क्या याचिकाकर्ता की प्रमाणित प्रति के साथ स्वामित्व विलेख का मिलान करने में चूक आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने में थी या नहीं, विचारण का विषय है और प्रमुख साक्ष्य के बिना न्यायनिर्णीत नहीं किया जा सकता है।

13. विद्वान एस.पी.पी. ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा कियाः

i. भावना बाई बनाम घनश्याम और अन्य, दाण्डिक अपील सं. 1820/2019।
ii. दिनेश तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2014) 13 एस.सी.सी. 137।
iii. कांति भद्र शाह और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2000) 1 एस.सी.सी. 722।
iv. एशियन रीसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ए.आई.आर. 2018 एस.सी. 2039।
v. मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.बी. जौहरी और अन्य, एम.ए.एन.यू./एस.सी./ 0025/2000

vi. मध्य प्रदेश राज्य बनाम योगेंद्र सिंह जादोन और अन्य, एम.ए.एन.यू./एस.सी./0117/2020।

vii. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, हैदराबाद बनाम के. नारायण राव, (2012) 9 एस.सी.सी. 512।

14. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

15. वर्तमान मामले में दायर आरोप-पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि कथित अपराध के संबंध में वर्तमान याचिकाकर्ता को सौंपी गई भूमिका निम्नानुसार हैः

> "16.6 जांच से आगे पता चला है कि पैनल अधिवक्ता, आरोपी सुधीर कुमार ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ साजिश रचते हुए बैंक को दिनांक 29.08.2013 को एक झूठी विधिक खोज रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उसने बेईमानी और धोखाधड़ी से उल्लेख किया कि स्वामित्व विलेख रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त प्रमाणित प्रति में बताई गई सामग्री के साथ अक्षरशः मेल खाता है और यह कि उक्त स्वामित्व विलेख मूल, वास्तविक हैं और प्रतिलिपि या नकली नहीं हैं। जांच से पता चला है कि बैंक के पास बंधक रखे गए स्वामित्व विलेख और उप-रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त प्रमाणित प्रति में स्पष्ट अंतर है, यहां तक कि प्रमाणित प्रति के पृष्ठ संख्या 5 पर 20 लाख रुपये के दो भुगतान आदेशों के हस्तलिखित विवरण हैं, जबकि स्वामित्व विलेख के पृष्ठ संख्या 5 पर ऐसा कोई विवरण नहीं है। यह भी पता चला है कि आरोपी सुधीर कुमार, अधिवक्ता को 30.08.2013 तक उप-रजिस्ट्रार कार्यालय से प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई थी और इस प्रकार उन्होंने धोखाधड़ी से उल्लेख किया गया था कि उसने प्रमाणित प्रति को स्वामित्व विलेख के साथ मिलान किया है।"

16. याचिकाकर्ता की ओर से एकमात्र चूक, जैसा कि आरोप लगाया गया है, यह है कि प्रमाणित प्रति पर दो भुगतान आदेशों के हस्तलिखित विवरण से संबंधित विसंगति है जो बैंक के पास जमा किए गए स्वामित्व विलेख पर नहीं थी, जबकि याचिकाकर्ता ने अपनी स्वामित्व अभिमत में उल्लेख किया है कि दोनों अक्षरशः मेल खाते हैं, जो कि निश्चित रूप से नहीं करते हैं। अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा दी गई राय बैंक के पास प्रस्तुत स्वामित्व विलेख में उल्लिखित स्वामित्व विवरण के संबंध में उसी की प्रमाणित प्रति की तुलना में गलत थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उक्त स्वामित्व विलेख के आधार पर सह-आरोपी इश्मा अरोड़ा ने अन्य बैंकों से ऋण लिया। याचिकाकर्ता द्वारा दी गई राय का सार यह था कि बैंक के पास प्रस्तुत स्वामित्व विलेख प्रमाणित प्रति के साथ मेल खाता है और इसलिए, वह नकली नहीं था। उक्त तथ्य पर अभियोजन पक्ष द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है। बैंक के पास जमा किए गए स्वामित्व विलेख की प्रति में दो भुगतान आदेशों के विवरण का उल्लेख न करने से विलेख की सामग्री की प्रामाणिकता प्रभावित नहीं होगी, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा यहां सत्यापित किया जाना था। अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि बैंक में जमा किया गया स्वामित्व विलेख नकली था।

17. उपरोक्त के अलावा, वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य आरोप नहीं हैं। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं है कि

याचिकाकर्ता की कथित अपराध में कोई अन्य भूमिका थी या कथित अपराध करने से उसे किसी भी तरह से लाभ हुआ था। इसके अलावा, यह प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है कि उसने कथित साजिश को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझकर गलत जानकारी के साथ स्वामित्व अभिमत राय प्रस्तुत किया। बेशक याचिकाकर्ता का नाम वर्तमान प्राथमिकी में नहीं था। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, हैदराबाद बनाम के. नारायण राव (पूर्वोक्त) में एक पैनल अधिवक्ता की भूमिका के संबंध में समान स्थिति से निपटने के दौरान निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "24. आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के तत्व यह हैं कि उन व्यक्तियों के बीच समझौता होना चाहिए जिन पर साजिश रचने का आरोप है और उक्त समझौता किसी अवैध कार्य को करने या अवैध साधनों द्वारा ऐसा कार्य करने के लिए होना चाहिए जो अपने आप में अवैध न हो। दूसरे शब्दों में, आपराधिक साजिश का सार अवैध कार्य करने के लिए एक समझौता है और इस तरह के समझौते को या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य या दोनों द्वारा और सामान्य अनुभव के मामले में साबित किया जा सकता है कि साजिश को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष सबूत शायद ही कभी उपलब्ध हो। तदनुसार, अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में निर्णय लेने के लिए घटना से पहले और बाद में साबित परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। भले ही कुछ कार्य किए गए साबित हुए हों, लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे आरोपी व्यक्तियों के बीच किए गए समझौते के अनुसरण में किए गए थे जो कथित साजिश में पक्षकार थे। अपराध के संबंध में ऐसी सिद्ध परिस्थितियों से निष्कर्ष केवल तभी निकाले जा सकते हैं जब ऐसी परिस्थितियाँ किसी अन्य उचित स्पष्टीकरण में असमर्थ हों। दूसरे शब्दों में, षड्यंत्र के अपराध को केवल संदेह और अनुमान या निष्कर्ष

पर स्थापित नहीं माना जा सकता है जो ठोस और स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं।

XXX

31. हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिवक्ता मुवक्किल के हितों के प्रति "निरंतर निष्ठा" रखता है और यह अधिवक्ता की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह से कार्य करे जो मुवक्किल के हित को सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ाए। केवल इसलिए उसकी राय स्वीकार्य नहीं हो सकती है, उसे आपराधिक अभियोजन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, विशेष रूप से, ठोस सबूत के अभाव में कि वह अन्य साजिशकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ था। अधिक से अधिक, वह घोर लापरवाही या पेशेवर कदाचार के लिए उत्तरदायी हो सकता है यदि यह स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाता है और उनके बीच उचित और स्वीकार्य संबंध के बिना अन्य साजिशकर्ताओं के साथ भा.दं.सं. की धारा 420 और 109 के तहत अपराध के लिए आरोप नहीं किया जा सकता है। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि संस्थान को नुकसान पहुंचाने के लिए अन्य साजिशकर्ताओं के साथ उसे जोड़ने के लिए कोई कड़ी या सबूत है, तो निस्संदेह, अभियोजन अधिकारी आपराधिक अभियोजन के तहत आगे बढ़ने के हकदार हैं। प्रत्यर्थी के मामले में इस तरह के ठोस सामग्री की कमी है।"

वर्तमान मामला उपरोक्त निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है, क्योंकि वर्तमान मामले में भी, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, वर्तमान याचिकाकर्ता को किसी भी साजिश से जोड़ने वाला कुछ भी अभिलेख पर नहीं आया है और उपरोक्त कानूनी राय के अलावा, वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी तरह से कथित साजिश के संबंध में उसकी संलिप्तता इंगित करने वाला कोई भी प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया गया है।

18. इस अदालत की राय है कि कथित चूक, कथित आपराधिक साजिश में याचिकाकर्ता की संलिप्तता की ओर इशारा करने के लिए *प्रथम दृष्टया* पर्याप्त सबूत नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिलावर बालू खुराने बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2002) 2 एस.सी.सी. 135 मामले में कहा है कि आरोप तय करते समय न्यायाधीश को यह पता लगाना होगा कि क्या अभिलेख पर मौजूद सामग्री अभियुक्त के खिलाफ 'गंभीर संदेह' का खुलासा करती है, जिसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। साक्ष्य को केवल यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि क्या अभियुक्त के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* मामला बनता है या नहीं। यह निम्नानुसार अभिनिर्धरित किया गया हैः

> "12. अब अगला प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* मामला बनता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कानून की सुस्थापित स्थिति यह है कि न्यायाधीश को उक्त धारा के तहत आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते समय यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्य की छान-बीन करने और मूल्यांकन करने की निस्संदेह शक्ति है कि क्या आरोपी के खिलाफ *प्रथमदृष्टया* मामला बनता है या नहीं; जहां अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है जिसे ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है, तो अदालत आरोप तय करने और विचारण के साथ आगे बढ़ने में पूरी तरह से न्यायसंगत होगा; कुल मिलाकर **यदि दो विचार समान रूप से संभव हों और न्यायाधीश संतुष्ट है कि उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त के खिलाफ कुछ संदेह को जन्म देते हैं लेकिन गंभीर संदेह को नहीं, तो उनके द्वारा अभियुक्त को आरोपमुक्त करना, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना**

पूरी तरह से उचित होगा, न्यायाधीश केवल डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्य के कुल प्रभाव और अदालत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करना होता है, लेकिन मामले के पक्ष और विपक्ष की अतिगामी जांच नहीं करनी चाहिए और साक्ष्य का इस तरह से मूल्यांकन चाहिए जैसे कि वह विचारण कर रहा हो (भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल [(1979) 3 एस.सी.सी. 4 : 1979 एस.सी.सी. (आप.) 609 देखें])।"

(जोर दिया गया)

19. उपरोक्त विधिक स्थिति को देखते हुए और याचिकाकर्ता को सौंपी गई सीमित भूमिका को देखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि अभिलेख पर सामग्री याचिकाकर्ता के खिलाफ "गंभीर संदेह" को जन्म देने के लिए पर्याप्त नहीं है और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को उचित नहीं ठहराती है। तदनुसार, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है और सुश्री अंजू बजाज चंदना, विशेष न्यायाधीश (पी.सी. अधिनियम), सी.बी.आई.-02, राउज एवेन्यू सी.सी. सं. 266/2019, शीर्षक सी.बी.आई. बनाम इश्मा अरोड़ा और अन्य, पुलिस थाना ई.ओ.-I, नई दिल्ली, जिला डी.एस.पी.ई. में पंजीकृत प्राथमिकी संख्या आरसी2192015ई0009 से उत्पन्न है, में दिनांक 01.10.2019 को पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। वर्तमान याचिकाकर्ता सुधीर कुमार के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468, 471 सहपठित धारा 120ख और पी.सी. अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के तहत अपराधों के लिए सुश्री अंजू बजाज चंदना, विशेष न्यायाधीश (पी.सी. अधिनियम),

सी.बी.आई.-02, राउज़ एवेन्यू द्वारा दिनांक 01.10.2019 के आदेश को अपास्त किया जाता है और परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिकाकर्ता को आरोपमुक्त किया जाता है।

20. वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है और लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई इसके साथ हो, तदनुसार निपटान किया जाता है।

अमित शर्मा

न्यायाधीश

15 फरवरी, 2023/*एबी*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*